सरकार बनाम घनश्याम वगैरा
सेशन प्रकरण संख्या :– 101/2017

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
01-04-26	अपरलोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त घनश्याम मय अधिवक्ता उपस्थित। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। मुताबिक निर्णय अभियुक्त घनश्याम पुत्र रामगोपाल उम्र 40 वर्ष निवासी कांकडदा थाना छीपाबडौद जिला बारां को धारा 136 विद्युत अधिनियम 2003 के आरोपित अपराध से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण में अभियुक्त क्रम–2 रामप्रसाद की मृत्यु हो जाने से उसके विरूद्ध दिनांक 28.01.2026 को कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है। अभियुक्त धारा 437-ए दं0 प्र 0 सं0 के तहत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय में 06 माह की अवधि में उपस्थित होने हेतु 10,000/-रू0 के जमानत मुचलके पेश करे। प्रकरण में जप्तशुदा ट्रांसफार्मर को परिवादी जे.वीवी.एन.एल. द्वारा स्वयं के विभाग का बताया है, जिसके स्वामित्व के संबंध में किसी भी अभियुक्त के द्वारा क्लेम नहीं किया गया है। अतः प्रकरण में फर्द जप्ती अनुसार जप्तशुदा माल बाद गुजरने मियाद अपील, अपील नहीं होने की सूरत में नियमानुसार विद्युत विभाग को सुपुर्दगी पर दिया जावे। प्रकरण में फर्द जप्ती अनुसार जप्तशुदा वाहन ट्रेक्टर मय ट्रोली पूर्व में उसके रजिस्टर्ड स्वामी को सुपुर्दगी पर दिया हुआ है, जिसका सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील भारमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रतिभूति व बन्धपत्र निरस्त किये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। **प्रमोद कुमार शर्मा** **विशिष्ट न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम)** **बारॉं (राज.)**	घनश्याम